संख्याः 90 /XXXVIII/09–178/वि0प्रौ0/2005

प्रेषक,

राजीव चन्द्र
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद,
देहरादून।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग

देहरादूनः दिनॉकः 26 मार्च, 2009

विषयः उत्तराखण्ड बायोटैक्नोलाजी कार्यक्रम के संचालन हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि को राजकोष में जमा किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः वि0प्रौ0प0/सचि0/24/08–09/4795,दिनॉकः 31.12.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को वित्तीय वर्ष 2006–07 में शासनादेश संख्याः 1237/XXXVIII(1)/178–वि0प्रौ0/2006, दिनॉकः 21.09.2006 में धनराशि रू0 250.00 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु शासनादेश संख्याः 136/XXXVIII(1)/07–178–वि0प्रो0/2005, दिनॉकः 18.10.2007 में धनराशि रू0 200.00 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है।

2. इस संबंध में बायोटैक्नोलाजी कार्यक्रम हेतु पूर्व वर्षो में आवंटित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि को (अर्जित ब्याज सहित) राजकोष में जमा कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राजीव चन्द्र)
सचिव।

संख्याः 90 /XXXVIII/09–178/वि0प्रौ0/2005, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : –

1. महालेखाकार , उत्तराखण्ड, माजरा देरहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. निदेशक, राज्य बायोटैक कार्यक्रम, हल्दी पंतनगर।
5. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव।